हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) की नियमावली
(वर्ष 2016–2017)

1. इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) होगा।

2. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा अधिकारियों / कर्मचारियों में हिन्दी में सरकारी कामकाज के प्रति रूचि पैदा करना है ।

3. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम (पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लि0, हिन्दी आशुलिपिक, हिन्दी अकादमी, दिल्ली पुलिस तथा किसी अन्य विभाग के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के समस्त विभागों / स्वायत्त निकायों / निगम के अधिकारी / कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

4. **इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन की अवधि 01.01.2016 से 30.06.2016 (01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016) तक होगी ।**

5. उपर्युक्त अवधि में हिन्दी में लिखी टीपों / प्रारूपों की जांच की जायेगी ।

6. टीप के बीच में आए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं होगी । हिन्दी में नोट लिखते समय किसी अंग्रेजी शब्द को देवनागरी / रोमन में लिखने पर टीप हिन्दी में ही मानी जायेगी । व्याकरण / वर्तनी (स्पेलिंग) की छोटी–मोटी भूलों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

7. टीप में "देखा", "धन्यवाद", "कृपया चर्चा करें", "फाईल करें" इत्यादि शब्दों को भी एक–एक लाईन माना जायेगा।

8. हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड भी दी जायेगी।

9. प्रतियोगिता में दो वर्ग होंगें (1) अधिकारी वर्ग, इस वर्ग में अधीक्षक, समकक्ष एवं उच्च अधिकारी तथा (2) कर्मचारी वर्ग में लिपिक से लेकर सहायक के पद तक तथा अपने विभाग में डायरी, डिस्पैच, अन्य सरकारी कार्य या उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया विभागीय कार्य हिन्दी में करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

10. दोनों वर्गों में पुरस्कार राशि निम्न प्रकार से होगी:–

	पुरस्कारों की संख्या	**वर्तमान राशि**
(1) अधिकारी वर्ग	20 पुरस्कार	4000 / –रूपये (प्रत्येक)
(2) कर्मचारी वर्ग	प्रथम पुरस्कार	4000 / –रूपये (एक)
	द्वितीय पुरस्कार	3000 / –रूपये (एक)
	तृतीय पुरस्कार	2000 / –रूपये (एक)
	प्रोत्साहन पुरस्कार	800 / –रूपये (तीस)(प्रत्येक)